गंभीर मामला है तो इसको गंभीरता से लो। ...(व्यवधान)... गंभीर मामला है तो गंभीरता से लेना चाहिए।...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY:*

श्री मूल चन्द मीणा:*

श्री राज् परमार:*

श्री वीर सिंह:*

श्री सभापति: बैठ जाइए, मूल चन्द मीणा जी, यह अच्छा नहीं है ...(व्यवधान)... श्री मधु। वह देख लेंगे ...(व्यवधान)... श्री मधु ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, शांति से बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... आपकी कोई बात हो तो चैंबर में आकर मुझे बता दीजिए। ...(व्यवधान)... हां, तो बैठते क्यों नहीं? यह मैं अलाऊ नहीं करुंगा। यह कितना गंभीर मामला है, यह आज का नहीं, बहुत पुराना है।...(व्यवधान)...

SHRI PENUMALLI MADHU (Andhra Pradesh): Sir, since the last five days, I have not been able to speak even on one problem. ...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY:*

श्री सभापति: कोई रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है ...(व्यवधान)... कोई रिकॉर्ड गर नहीं जा रहा है, ..(व्यवधान).. कोई रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है। ...(व्यवधान)... सदन की कार्यवाही अपराहन 2.00 बजे तक के लिए स्थिगित की ज़ाही है।

The House then adjourned for lunch at fifty-nine minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

GOVERNMENT EILLS

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2006 MR. DEPUTY CHAIRMAN: Bill for introduction.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI HANSRAJ BHARDWAJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Sir, I introduce the Bill.

^{*} Not recorded.

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभापति जी ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः देखिए, सब्जेक्ट कोई नहीं है ...(व्यवधान)... that subject is over. ...(Interruptions)...

श्री वी॰ हनुमंत राख (आन्ध्र प्रदेश): सर, एक गरीब एम॰पी॰ को पांच हजार ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That issue is over. ...(Interruptions)... Now discussion on the statement made by the Prime Minister. Shrimati Sushma Swaraj. ...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The matter is very urgent. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please sit down. ...(Interruptions)... It is a convention that whatever we raise in the Zero Hour after 12 o'clock with the permission of the Chair, it is up to 1 o'clock. After that, we take up new business, either Legislative or Listed Business. It is a convention. ...(Interruptions)... Please respect the convention. If you have to raise any issue, please make the request to the Chairman. Please cooperate in carrying on the Listed Business. ...(Interruptions)... You are from the ruling side. You are from the Treasury Bench. Once the Home Minister replied to the issue, that issue is over. You have no right to raise it again. ...(Interruptions)... I am making it very clear. The Home Minister has already replied to it. ...(Interruptions)...

श्री मुल चन्द मीणा: नहीं, गरीबों के ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापितः नहीं, नहीं सुनिए ...(व्यवधान)... If you have anything to raise, you have to give the notice, and only then you can raise it. ...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY: One minute, Sir. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under what rule you are raising it? ...(Interruptions)... You have not given the notice. The hon. Member who had given the notice has been allowed to put his views before the House and, to that, the Home Minister has given the reply. Now, there is no notice for the Chair to take the cognisance of whatever you want to raise. Please give the notice. Then it will be taken up.

श्री मूल चन्द मीणा: जिस issue की बात हम कर रहे हैं, उस पर बात नहीं हुई है।

[27 February, 2006]

श्री उपसभापतिः जरा सुनिए।

श्री मूल चन्द मीणा: सर, नोटिस दिया है, तभी तो चर्चा हुई है और ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः नोटिस नहीं दिया गया है, आप सीनियर मैम्बर हैं, प्लीज... प्लीज... ...(ञ्यवधान)... Mr. Narayanasamy, I again want to remind you, ...(Interruptions)... Please respect the Chair. ...(Interruptions)... You must respect the Chair. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)... यह सही नहीं है। ...(ञ्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणाः बात सुनिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मीणा जी, आप बैठिए... मैं बोलता हूं आप बैठिए।

SHRI V. NARAYANASAMY: It should be referred to the Ethics Committee. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your demand to refer the matter to the Ethics Committee can be taken up by the Chairman. ...(Interruptions)... You give a notice. ...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Okay, Sir.

DISCUSSION ON STATEMENT BY PRIME MINISTER—India's Vote in I.A.E.A. on Iran's Nuclear Programme

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): उपसभापित जी, मुझे खुशी है कि इतने उतार-चढ़ाव और इतनी बाधाओं के बाद अंतत: इस विषय पर हम लोग सदन में चर्चा कर हैं। उपसभापित जी, हम इस सदन में उस वक्तव्य पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो वक्तव्य प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA गवर्नर्स बोर्ड की बैठक में ईरान के विरुद्ध भारत द्वारा किए गए मतदान के संदर्भ में 17 फरवरी का हमारे समक्ष दिया था। उपसभापित जी, IAEA में वोट के बाद, इस देश में कई तरह के विवाद खड़े हुए थे और हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य उन विवादों को शांत करेगा। यह हमारी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेगा और देश में प्रकट की जा रही आशंकाओं का निराकरण भी करेगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है कि इसके ठीक उल्टा हुआ। जो वक्तव्य आया, वह इतनी दुविधा से भरा हुआ था कि सरकार तो दुविधा में है ही और उसने इस वक्तव्य के माध्यम से सदन को भी दुविधा में डाल दिया और सदन के माध्यम से देश को भी दुविधा में डाल दिया। इस वक्तव्य का कोई ओर-छोर नहीं है। यह वक्तव्य इतना लम्बा-चौड़ा है कि आप पढ़ने के बाद यह नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार यह सरकार क्या चाहती है। कभी इस वक्तव्य में ईरान प्रेम झलकता है, कभी इसमें अमेरिका प्रेम झलकता है, यद इसमें कुछ नदारद है तो भारत प्रेम नदारद है। भारत-अमेरिका प्रेम और ईरान प्रेम झलकता है, यद इसमें कुछ नदारद है तो भारत प्रेम नदारद है। भारत-अमेरिका प्रेम और ईरान प्रेम